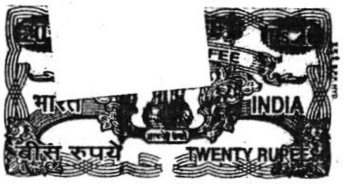

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

द/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/1255

विनोद श्रीवास्तव 20-2-018 ए.
प्रारंभिक तर्क हेतु 5/3/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. रामलाल पुत्र श्री अन्तराम
2. रामप्रसाद पुत्र श्री अन्तराम
3. रामबाबू पुत्र श्री रामलाल
4. रामगोपाल पुत्र श्री रामप्रसाद
5. संतोष पुत्र श्री रामप्रसाद भोई

समस्त निवासीगण – ग्राम चाठौली तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

1. इमरत सिंह पुत्र डमरु
2. हमीरा पुत्र श्री बब्बू
3. अर्जुन पुत्र श्री बब्बू
4. मेहरबान पुत्र श्री बब्बू
5. पूरन पुत्र श्री बब्बू
6. गणेशीबाई पुत्री बब्बू पत्नी रामचरण भोई
   निवासीगण मसीदपुर तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा .... अनावेदकगण
7. नीकेश नाबा.हरिराम संरक्षक दादा रामलाल भोई
8. नीलेश नाबा पुत्र रामप्रसाद संरक्षक पिता रामप्रसाद
9. अमर सिंह पुत्र इमरत सिंह भोई
10. ऊधम सिंह पुत्र सरदार सिंह दांगी
11. बलवीर सिंह पुत्र माधो सिंह दांगी
12. अब्दुल वहाब खां पुत्र रऊफ खॉ निवासी चाठोली तहसील सिरोज
13. करण सिंह पुत्र जुगतोबाई
14. मलखान सिंह पुत्र जुगतोबाई
15. कमरलाल पुत्र जुगतोबाई

16. नर्बदीबाई पुत्री जुगतोबाई
17. टण्टीबाई पुत्री जुगतोबाई
समस्त निवासीगण शहरखेडा तहसील लटेरी जिला विदिशा म.प्र.

.... प्रोफार्मा पक्षकार

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता</u>

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/ अपील/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम चाढौली तहसील सिरोंज में स्थित सर्वे क्रमांक 219/ 1 , 220, 339,341, 342, 366, 367, 520, 527, 625द/2 , 634 , 711, 924, 927, 932 कल रकवा 8.217 हे. खाता नं. 444 भूमि सर्वे नं. 10/1 रकवा 1.687 , खाता नं. 445 भूमि सर्वे न. 1628 रकवा 1.074 हे. एवं खाता नं. 446 भूमि सर्वे नं. 365 , 399 कुल 2 किता कुल रकवा 0.215 हे. एवं खाता नं. 447 ससर्वे नं. 8/1 रकवा 3.899 हे. भूमि का मौके पर बाहमी बटवारा अनुसार न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार मण्डल 4 तहसील सिरोंज जिला विदिशा के समक्ष म.प्र. भू राजस्वसंहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण क्रमांक 16अ27/ 2012- 13 दर्ज किया गया । अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अनावेदकगण को सूचना दी गई थी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1255

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	